

न्याय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

101/2025

- सुभाष
सुरेश कुमार

पि० रामस्वरूप सिहाग जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा।


:-वादीगण

वनाम

- 3 रामस्वरूप पुत्र वेगराज जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा।
- 4 कलावती पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा।
- 5 प्रदीप कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा।
- 6 पवन कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा।
- 7 स्नेहलता पुत्री रामस्वरूप पत्नी रमेश जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा हाल खावडा तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद।
- 8 इन्द्रा पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा हाल खावडा तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद।
- 9 शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप पत्नी सत्यपाल प जाति जाट निवासी भरवाना त० भादरा हाल राजपुरिया तहसील नोहर।
- 10 कमलेश कुमारी पुत्री रामस्वरूप पत्नी स्वराज जाति जाट निवासी भरवाना हाल भिरानी तहसील भादरा।
- 11 बैंक ऑफ वडौदा शाखा भादरा।
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल वेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 डीपीएन के खाता सं० 130/122 के मु० न० 41 के किला न० 11, 12, 13, 18 ता 23, मु० न० 42 के किला न० 15, 16, 25, मु० न० 49 के किला न० 5, 6, मु० न० 50 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18 ता 20 कुल रकबा 6.5780 है० जिसमें बाराणी 6.5390 है० गै० मु० रास्ता 0.039 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रामस्वरूप के नाम से व रोही मौजा चक 1 जीजीएम के खाता सं० 86/79 के मु० न० 27 के किला न० 21, 22/1, 22/2, 23/1, मु० न० 28 के किला न० 25, मु० न० 33 के किला न० 5, 6, 15, मु० न० 34 के किला न० 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 13 कुल रकबा 4.1740 है० जिसमें नहरी 4.1220 है०, गै० मु० रास्ता 0.052 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रामस्वरूप के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं० 1 सुभाष, वादीगण सं० 2 सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं० 3 प्रदीप कुमार व प्रतिवादी सं० 4 पवन कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 2 व 5 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 3 व 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त कर के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।



यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड (कल्पित शिवरान R.A.S.)
भादरा (उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))